न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 81/2023

बंशीधर देगडा पुत्र मंगलाराम देगडा जाति जाट निवासी देगडा की ढाणी, ग्राम मुंडौता तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र सेडूराम जाति जाट निवासी नागल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. नारायणलाल पुत्र हनुमानसहाय जाति जाट निवासी नागल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राकेश चौधरी पुत्र श्योजीराम चौधरी जाति जाट निवासी बागडो का बास कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील जोबनेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश शर्मा वकील प्रार्थी

2. श्री रामसिंह वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3

दिनांक :– 27/12/2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0न0 814/797 रकबा 0.4413 है0 वाकै ग्राम ढाणीनागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी का 131/875 हिस्सा है शेष हिस्सा अन्य खातेदारी का जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजीयात खातेदार गोपाल पुत्र सेडूराम से जरिये रजि0विक्रय पत्र दिनांक 1/2/2023 को खरीद की है तथा खातेदार गोपाल पेत्र सेडू ने अपनी उक्त आराजीयात विवादित ख0न0 के पूर्वी सीमा की ओर ख0न0 815/897 से लगती हुई बेचान की है जिसका नक्शा भी विक्रय पत्र दिनांक 1/2/2023 के साथ संलग्न किया है। वादी व प्रतिवादी सं01ल03 ने उपरोक्त आराजीयात आपसी सहमति के अनुसार मौके पर विभाजित कर रखी है उसी अनुसार काविज है। प्रार्थी अपनी उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज रहकर आराजी का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थी प्रतिवादी सं02 व 03 जो कि वादी के द्वारा अपनी आराजीयात को खरीदने के पश्चात अप्रार्थी सं01 से खरीद की है प्रतिवादी सं02 व03 नाजायज रूप से वादी की खरीद शुदा व कब्जेशुदा आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मजाहमत व बाधा उत्पन्न करने पर आमादा रहते है। अप्रार्थी सं02 व03 वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की उपरोक्त विवादित आराजीयात पर दिनांक 15/10/2023 को कुछ अजनबी व्यक्तियो के साथ आये

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तथा वादी की कब्जे शुदा आराजीयात पर जबरन कब्जा करने नियत से वादी के साथ गाली गलोच व लडाई झगडा करने लग गये तथा वादी के हिस्से की आराजीयात को अपनी होना जाहिर करके कब्जा कर बेचान व वादी के हिस्से की आराजी मे निर्माण करने की धमकी दी एवं वादी को कहा कि उसकी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करेगे तथा उसे जबरन उसकी आराजीयात से बेदखल कर देंगे। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने सुनवायी वाद के अप्रार्थी सं02 व03 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी ख0न0 814/797 रकबा 0.4413 है0 वाकै ग्राम ढाणीनागान पटवार हल्का ढाणीनागान भू0अभि0नि0 क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे वादी के कब्जे काश्त, बाजोत उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत, बाधा उत्पन्न नहीं करे, ना ही वादग्रस्त भूमि मे वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि करे, ना ही बिना विधिक विभाजन करवाये वादग्रस्त भूमि को रहन बैय मुंतकिल हस्तान्तरण करे तथा राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित मद संख्या 1, 3, 4, 5 एवं 6 स्वीकार नहीं है। मद संख्या 2 स्वीकार एवं सही है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है तथा जरिये ईकरारनामा 18.10.2019 अनुसार सभी अपने–अपने हिस्से काबिज कास्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा आपस में कोई विवाद नहीं है तथा प्रार्थी मौके कब्जे अनुसार तकासमा कराने के लिए सहमत हैं कानूनी रूप से भी एक खातेदार सह खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गयी। बहस वकील फरीकैन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–76 विवादित आराजी खसरा नं0 814/797 रकबा 0.4413 हे0 वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त आराजी खातेदार गोपाल पुत्र सेडूराम से जरिए रजि0 विक्रय दिनांक 01.02.2023 को क्रय की है। खातेदार गोपाल पुत्र सेडूराम ने खसरा संख्या 815/897 से लगती हुई पूर्वी दिशा की ओर भूमि का विक्रय किया था। प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थी आराजी खसरा नं0 814/797/0.44 वाकै ग्राम ढाणी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

नागान तहसील जोबनेर का रिकार्डेड खातेदार है। मुताबिक विक्रय पत्र भूमि के विशिष्ट भू–भाग का बेचान हुआ है। अगर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर मनचाही जगह कब्जा करते है तो अनावश्यक मुकदमे बाजी बढने या कानूनी पैचेदगीया उत्पन्न होने की स्थिति से भी इंनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी आराजी खसरा नं0 814/797/0.44 वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर का रिकार्डेड खातेदार है। मुताबिक विक्रय पत्र प्रार्थी ने विवादित भूमि के विशिष्ट भू–भाग को क्रय किया है। अगर अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन कराये वादग्रस्त भूमि पर मनचाही जगह कब्जा करते है अथवा निर्माण करते है तो प्रार्थी के लिए असुविधाजनक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी को होगी।

03 **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 814/797 रकबा 0.4413 हे0 वाकै ग्राम ढाणी ढाणी नागान तहसील जोबनेर के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/2024

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर